

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/24/1134

दिनांक: 27/03/2024

आदेश

न्यायालय जिला न्यायाधीश, झालावाड़ (राजस्थान) में दायर दीवानी विविध (चुनाव याचिका) संख्या 16/2023 CIS No. 17/2023 कैलाश बाई पत्नी धन्ना लाल बनाम विजय लक्ष्मी पत्नी विनोद कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2024 द्वारा प्रार्थिया कैलाश बाई की चुनाव याचिका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 विरुद्ध अप्रार्थिया स्वीकार की जाकर अप्रार्थिया विजयलक्ष्मी का नगरपालिका अकलेरा के अध्यक्ष पद पर दिनांक 07.02.2021 को किया गया निर्वाचन निरस्त किया गया है, तथा प्रार्थिया कैलाश बाई को नगरपालिका अकलेरा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया गया है।

अतः उक्त निर्णय की पालना में एवं निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में अपील में आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन श्रीमती कैलाश बाई पत्नी श्री धन्ना लाल पार्षद वार्ड नं 26 को नगरपालिका मण्डल अकलेरा के अध्यक्ष पद पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/24/1135-1145

दिनांक: 27/03/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलक्टर झालावाड़।
5. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
8. उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़।
9. अधिश्रमणी अधिकारी नगरपालिका अकलेरा।
10. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव